FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

आअदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजगढ़ जिला चूरू

सुरेन्द्रसिंह बनाम राज0 सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल0आर0 एक्ट नम्बर मुकदमा 122 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही विवरण	नम्बर व तारीख अहकाम की इस हुक्म की तामील में जारी हुक्म
19.11.20	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत निवासी वार्ड सं. 05, सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू नें इस आंशय का पेश किया कि कृषि भूमि खाता सं. 206 ख0नं0 1205 तादादी 4.59 हैक्टेयर, ख0नं0 1206 तादादी 1.01 हैक्टेयर, ख0नं0 458 तादादी 1.30 हैक्टेयर, ख0नं0 602 तादादी 1.77 हैक्टेयर कुल तादादी 8.67 हैक्टेयर वाके रोही सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चूरू में अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी सुरेन्द्रसिंह का गलत नाम सलेन्द्रसिंह भूलवश राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है जो लिपिकिय भूलवश दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी के दस्तावेजात जैसे परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पेनकार्ड आदि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मे प्रार्थी का असल व रिकार्डेड नाम सुरेन्द्रसिंह पुत्र रतनसिंह दर्ज है, का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड व प्रार्थना पत्र व तहसीलदार राजगढ़ जिला चूरू की रिपोर्ट दिनांक 21.10. 2019 व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 14.06.2019 तथा फर्द मौका दिनांक 04.06.2019 का अवलोकन करनें के बाद प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की पुष्टि होनी पाई जाती है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दियां जाता है कि कृषि भूमि खाता सं. 206 ख0नं0 1205 तादादी 4.59 हैक्टेयर, ख0नं0 1206 तादादी 1.01 हैक्टेयर, ख0नं0 458 तादादी 1.30 हैक्टेयर, ख0नं0 602 तादादी 1.77 हैक्टेयर कुल तादादी 8.67 हैक्टेयर वाके रोही सिद्धमुख तहसील राजगढ़ (हाल तहसील सिद्धमुख) जिला चूरू के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का गलत नाम सलेन्द्रसिंह के स्थान पर सुरेन्द्रसिंह शुद्ध किया जाकर दर्ज किया जावे। तद्नुसार दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, राजगढ़ को लिखा जाकर पालना करवाई जावे। बाकी इन्द्राजात यथावत रहेगे। मिसल फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ (चूरू)	